

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक २/ जुलाई, 2011

क्रमांक 1342 /1582/2011/बयालीस-1 राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से समस्त स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा समस्त शासकीय/स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है एवं पर्याप्त संख्या में इस वर्ग के आवेदन प्राप्त न होने पर रिक्त रही सीटों को अन्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जाने की अनुमति दी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शमीम उद्दीन)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक २/ जुलाई, 2011

पृष्ठां.क्रमांक 1343 /1582/2011/बयालीस-1
प्रतिलिपि--

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल को इस निर्देश के साथ कि कृपया वर्ष 2011-12 की काउंसलिंग उपरोक्तानुसार प्रावधान सुनिश्चित करें.
2. कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
3. अपर सचिव, मुख्यमंत्री को उनकी टीप क्र. 472/सीएमएस/एएस/11 दिनांक 2.7.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित.
4. संचालक, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल.
5. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर/उज्जैन/रीवा/सागर.
6. प्राचार्य समस्त स्वशासी/शासकीय महिला एवं सह-शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालय (संख्या 63)
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय.

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग